न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, सप्तम सहरसा।

नियमित जमानत आवेदन संख्या–887 / 2022

थाना .–बनगॉव काण्ड संख्या–101 / 2022

उदय कुमार उर्फ राजा .....आवेदक

बनाम्

बिहार सरकार.....विपक्षी

आवेदक की ओर से– श्री सुदेश प्रसाद सुमन (विद्वान अधिवक्ता)

बिहार सरकार की ओर से' – श्री कामेश्वर प्रसाद (अपर लोक अभियोजक)

उपस्थितः– श्री कृष्ण कुमार चौधरी

कारा दिनांक 27.08.2022

आदेश दिनांक 20.10.2022

1. काराधीन अभियुक्त उदय कुमार उर्फ राजा की ओर से नियमित जमानत आवेदन थाना बानगॉव काण्ड संख्या–101 / 2022 अन्तर्गत धारा– 414 भा0 द0 वि0 के तहत दर्ज में दाखिल किया गया है।

2. काराधीन अभियुक्त की ओर से नियमित जमानत आवेदन को प्रचालित करते हुए उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय से निवेदन करते है कि अभियुक्त के द्वारा वर्तमान जमानत आवेदन के अलावे अन्य कोई जमानत आवेदन किसी अन्य न्यायालय में दाखिल नहीं किया है। प्रतिरक्षा के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि अभियुक्त निर्दोष है। आवेदक अभियुक्त पर पूर्व से कुल 7 कांड दर्ज है। आवेदक अभियुक्त दिनांक–27.08.2022 से कारा में बंद हैं। वहीं वर्तमान कांड में धारा–414 भा0 दं0 वि0 के कांड में धारा–41 दं0 प्र0 सं0 का लाभ देना आवश्यक है, लेकिन अनुसंधानकर्त्ता के द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। अभियुक्त न्यायालय के संतुष्टि के अनुसार जमानत राशि / प्रतिभू दाखिल करने के लिए तैयार हैं। इसलिए जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाय।

लगातार 20.10.2022

अभियोजन पक्ष जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहते है कि अभियुक्तके विरूद्ध धारा–414 भा0 द0 वि0 के अंतर्गत कांड दर्ज है। इसलिए जमानत आवेदन खारिज किया जाए।

दोनों पक्षों को सुना।

3- प्राथमिकी के अनुसार अभियुक्त पर अभियोग यह है कि बनगॉव थाना के सहायक अवर निरीक्षक दिनांक–26.08.2022 को गस्ती वाहन चंकिंग रेड छापामारी हेतु समय 10:30 बजे थाना के रिजर्व गार्ड के सिपाही के साथ थाना से प्रस्थान किये। समय करीब 15:00 बजे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरीयाही के पास सशस्त्र बल के साथ वाहन चेकिंग कर रहे थे। वाहन चेकिंग के क्रम में समय करीब 15:30 बजे बरीयाही बाजार के तरफ से आ रहा एक व्यक्ति पुलिस द्वारा किय जो रहे वाहन चेकिंग को देखकर अपनी हिरो होण्डा स्पलेन्डर मोटर साइकिल घुमाकर वापस भागने का प्रयास किया, जिसे पुलिस बल के सहयोग से पकड़ लिया गया। पकड़ाये गये व्यक्ति से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम उदय कुमार उर्फ राजा बताया। पकड़ाये व्यक्ति से मोटर साइकिल नं0 बी0आर0 19 एम0 0310 के स्वामित्व से संबंधित कागजात की मॉग किया गया, तो उक्त व्यक्ति कोई कागजात नहीं दिखाये और न हीं कोई संतोषजनक जवाब दिये। जिससे प्रतीत होता है कि पकड़ाये व्यक्ति द्वारा उक्त मोटर साइकिल को चोरी किया गया है, जिसे जप्त किया गया।

अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि कांड दैनिकी के कंडिका– 16 के अनुसार आवेदक अभियुक्त के विरूद्व कुल 9 कांड दर्ज है। वहीं कंडिका–34 के अनुसार जप्त वाहन का स्वामी चुमन कुमार चौधरी, ग्राम–सहोरवा, थाना–चौथम, जिला–खगड़िया, लेकिन उसने चोरी के संबंध में कोई कांड दर्ज नहीं कराया है।

4. उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अभियुक्त के कारावधि को देखते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय प्रभाकर तिवारी

लगातार 20.10.2022

बनाम उत्तर प्रदेश क्रिमिनल अपील नं0–153/2020 के निर्देशानुसार किसी अभियुक्त का आपराधिक अभियुक्त के जमानत आवेदन खारिज करने का आधार नहीं हो सकता है। जिसके कारण काराधीन अभियुक्त उदय कुमार उर्फ राजा को इस शर्त के साथ जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है कि एक जमानतदार आवेदक अभियुक्त का रक्त संबंधी होगा। अभियुक्त के द्वारा 25,000 X 2 रूपये के बंध पत्र दाखिल करने पर निम्न न्यायालय के संतुष्टि पश्चात् जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है।

(लेखापित)

अपर सत्र न्यायाधीश, सप्तम